न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

राजस्व वाद पत्र सं0 46 / 2015

1. श्रीमती लाली देवी पत्नी श्री भागचन्द जी जाट निवासी रेण, तहसील भिनाय, जिला अजमेर हाल निवासी राठी बिल्डिंग, बावडी चौराहा, गुलाबपुरा, जिला भीलवाडा।
2. विकास कुमार पुत्र श्री भागचन्द
3. विनोद कुमार पुत्र श्री भागचन्द
   वादी सं0 2 व 3 नाबालिग जरिये संरक्षक पिता भागचन्द जाट निवासी रेण, तहसील भिनाय, जिला अजमेर हाल निवासी राठी बिल्डिंग, बावडी चौराहा, गुलाबपुरा, जिला भीलवाडा।

---- **प्रार्थीगण**

बनाम

1. श्रीमान् पटवारी महोदय, पटवार हल्का शिखरानी, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर।

---- **अप्रार्थीगण**

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

:– निर्णय :– दिनांक 20.06.2016

प्रार्थीगण ने अपने इस प्रार्थना पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि मौजा नगर पटवार क्षेत्र शिखरानी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित अराजी खसरा न0 140 / 1 रकबा 0.1457 व 136 / 1 रकबा 0.8498 हेक्टेयर भूमि अन्य अराजियात के साथ उनकी खातेदारी की भूमियां है। पूर्व नक्शे में इन्हें सही दर्शाया गया था लेकिन वर्तमान नक्शे में खसरा न0 140 का रकबा कम दर्शाया गया है अतः नक्शा दुरूस्त कराने की कृपा करावें।

जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि वर्तमान नक्शे में खसरा न0 139 के कुल रकबे से 02–14–00 अधिक है तथा खसरा न0 140 कुल रकबे में 02–14–00 कम दर्शाया गया है जिसे चालू लंकलाट में खसरा न0 139 की पूर्वी दिशा में कम कर खसरा न0 140 की पश्चिमी दिशा में शुद्धि किया जाना उचित है। मिलान क्षेत्रफल साबिक लंकलाट के अनुसार शुद्धि अपेक्षित है।

आज पत्रावली न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प शिखरानी पर पेश हुई। वकील प्रार्थीगण एवं पैरोकार अप्रार्थीगण को सुना गया। दोनो पक्ष दुरूस्ती के लिए सहमत हुए। पत्रावली अवलोकन पर पाया गया कि खसरा न0 139 व 140 एक दूसरे से लगायत है। खसरा न0 140 प्रार्थीगण की खातेदारी में है मौके पर रकबा पूरा है लेकिन नक्शेनुसार उन्हें हानि है। खसरा न0 139 हीरालाल वल्द कालूराम जाति पंचनायक की खातेदारी में है जिसके मौके पर रकबा कम है जो पटवारी के अनुसार सही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः स्वीकार किया जाता है तथा मौजानगर पटवार क्षेत्र शिखरानी तहसील बिजयनगर स्थित खसरा न0 139 की पूर्वी दिशा से रकबा कम कर खसरा न0 140 की पश्चिमी दिशा में नक्शा लंकलाट में बढाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2016 को ''न्याय आपके द्वार'' कार्यक्रम मुकाम शिखरानी पर मजमें आम में सुनाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मसूदा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर
राजस्व वाद सख्या–46/2015

श्रीमती लाली देवी बनाम पटवारी हल्का शिखरानी
संशोधित आदेश

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि मैरे प्रार्थना पत्र पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 20.06.2016 को आंशिक आदेश पारित किये गये है। मैनें अपने धारा 136 LR के प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की खातेदारी की आराजी ख0 न0 50 से बने हाल ख0 न0 136 का एक भाग राजस्व नक्शे में दर्शा तो दिया गया है लेकिन इसमें ख0 न0 अंकित नही किये गये है इसी प्रकार प्रार्थी की खातेदारी के ख0 न0 140 का पूर्व नक्शे से रक्बा कम करके ख0 न0 139 में अंकित कर देने से उसकी दुरस्ती हेतु निवेदन किया था। जिस बाबत् माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर दिये गये है लेकिन ख0 न0 136 के भाग 136/1 बाबत् कोई आदेश पारित नही किये गये है अतः संशोधित आदेश पारित कराने की कृपा करावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम नगर की जमाबंदी संवत् 2067–70 के खाता संख्या 371 में ख0 न0 136/1 रक्बा 0.8498 व ख0 न0 136/2 रक्बा 0.0324 है प्रार्थिया की खातेदारी में है तथा राजस्व नक्शे में ख0 न0 136 के आंशिक भाग को डोट डोट से पृथक से दर्शाया गया है लेकिन इसमें ख0 न0 अकिंत नही किये गये है अतः ख0 न0 136 से अंकन किया गया है उसके स्थान पर ख0 न0 136/1 तथा डोट डोट वाले इसके भाग पर ख0 न0 136/2 अंकित किये जाने तथा ख0 न0 139 की पूर्वी दिशा से रक्बा कम कर ख0 न0 140 की पश्चिमी दिशा में बढ़ाने के आदेश पारित किये जाते है।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.19 16:22:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: